न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक 103–दो/2005 – विरूद्ध आदेश 13.01.2005 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 124/97–98 निगरानी

रामसिया पुत्र बाबूलाल ब्राहमण
ग्राम गिरवासा तहसील लहार
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

रामकुमार पुत्र शंकर नावालिग
सरपरस्त पिता शंकरलाल पुत्र
रघुवर, निवासी ग्राम गिरवासा
तहसील लहार जिला भिण्ड ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 8 –10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 124/97–98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.1.2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम गिरवास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 527,2175,2183,2185,2299 कुल किता 5 कुल रकबा 2.027 है. के 1/2 भाग के अभिलिखित भूमिस्वामी नाथूराम, रामस्वरूप, शंकरलाल,शरू, बलगुटेर पुत्रगण रघुवर है शेष 1/2 भाग की भूमिस्वामिनी महिला लच्छोवाई पुत्री लडई ब्राहमण थी जिसकी

बेओलाद मृत्यु हुई। फलतः आवेदक एंव अनावेदक ने स्वयं् के हित में महिला लच्छोवाई व्दारा की गई बसीयतों के आधार पर नामान्तरण की मांग की गई। तहसीलदार लहार ने प्रकरण क्रमांक 53अ-6/82-83 पंजीबद्व किया तथा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23.1.90 पारित करके आवेदक के बसीयतनामा को सही मानकर नामान्तरण करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय लहार के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 70/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-6-95 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार लहार का आदेश दिनांक 23.1.90 निरस्त करते हुये प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 41/97-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.12.97 से निगरानी निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 124/97-98 में पारित आदेश दिनांक 13.1.2005 से निगरानी निरस्त हुई । इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार लहार के प्रकरण क्रमांक 53अ-6/82-83 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसील न्यायालय में बसीयतों के सम्बन्ध साक्ष्य ग्रहण की गई है, जिसमें साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी हैं। यहां तक कि बसीयत का लेखक भागीरथ शर्मा व्दारा साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथ पत्र के तथ्य भिन्नता लिये हैं। इस प्रकार की दूषित साक्ष्य पर तहसीलदार ने वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकाल कर आदेश दिनांक

23.1.90 से आवेदक व्दारा प्रस्तुत बसीयत को सिद्व मानते हुये नामान्तरण स्वीकार किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी लहार ने प्रकरण क्रमांक 70/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-6-95 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार लहार के त्रृटिपूर्ण आदेश दिनांक 23.1.90 को निरस्त करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर भिण्ड ने तथा अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी लहारके आदेश दिनांक 6-6-95 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। वैसे भी उभय पक्ष को अपना अपना पक्ष तहसीलदार लहार के समक्ष प्रबल रूप से रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में किसी पक्ष विशेष के हित/अहित में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 124/97-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13.1.2005 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर